

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी - हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 161/2023

दायर दिनांक-20.12.2023

1 सोहनलाल पुत्र श्री करनाराम जाति जाट निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

- वादी

बनाम

1. कमला पुत्री कजोड़पुरी पत्नी जगदीशपुरी जाति गुंसाई निवासी कारी हाल आबाद ग्राम किचक जिला नागौर
2. गोपीपुरी पुत्र हीरापुरी जाति गुंसाई निवासी गुंसाई की ढाणी तन कारी तहसील नवलगढ़।
3. जुगलकिशोर पुत्र हरीजीराम जाति जाट निवासी कारी तहसील नवलगढ़।
4. देवकरण पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी पनियों की ढाणी तन भगेरा तहसील नवलगढ़।
5. शांति देवी पत्नी स्व० महावीर प्रसाद
6. जयलाल पुत्र स्व० महावीर प्रसाद
7. जगदीश पुत्र स्व० महावीर प्रसाद जाति माली निवासी ग्राम कारी तहसील नवलगढ़।
8. सुरेन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कारी तहसील नवलगढ़।
9. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

-प्रतिवादीगण

वकील वादी :- श्री दीपेन्द्र सिंह जाखड़

वकील प्रतिवादी :- श्री मोहम्मद मुंशी

दावा बाबत विभाजन व

स्थायी निषेधाज्ञा

-:: निर्णय ::-

दिनांक : 28.06.2024

वाद वादी दिनांक 12.04.2024 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2021/1873 दिनांक 30.05.2024 के द्वारा प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभय पक्ष सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव उभय पक्ष द्वारा सहमति जाहिर की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता। फलस्वरूप मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है।


उक्त वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम गुंसाई की ढाणी पटवार हल्का कारी की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 1961/963 रकबा 1.1400 है० का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	देवकरण पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी पनियों की ढाणी तन भगेरा साकिन देह खातेदार	1961/963/2	0.44	बारानी प्रथम
2	सेहनलाल पुत्र करनाराम जाति जाट निवासी जाखल साकिन देह खातेदार।	1961/963/1	0.44	बारानी प्रथम

दाय
सहायक कलक्टर एवं कायपालक
पजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ 1 of 3

3	कमला पुत्री कजोड़पुरी हिस्सा 47/100, गोपीपुरी पुत्र हीरापुरी हिस्सा 11/26 जाति गुसाई, जुगल किशोर पुत्र हरजीराम हिस्सा 19/260, महावीर प्रसाद पुत्र टीकूराम हिस्सा 51/2600 जाति माली, सुरेन्द्र सिंह पुत्र प्रतापसिंह हिस्सा 37/2600 जाति राजपूत साकिन देह खातेदार।	1961/963/3	0.26	बारानी प्रथम
---	---	------------	------	--------------

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (हवाई सिंह यादव)
 सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
 नवलगढ़ जिला नवलगढ़
 मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) नवलगढ़

45

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ
मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)नवलगढ

मुकदमा नम्बर 161/2023

दावा : विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा।

(सोहनलाल बनाम कमला आदि)

अन्तिम डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब - मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.06.2024 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम गुंसाई की ढाणी पटवार हल्का कारी की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 1961/963 रकबा 1.1400 है0 का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	देवकरण पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी पनियों की ढाणी तन भगेरा साकिन देह खातेदार	1961/963/2	0.44	बारानी प्रथम
2	सोहनलाल पुत्र करनाराम जाति जाट निवासी जाखल साकिन देह खातेदार।	1961/963/1	0.44	बारानी प्रथम
3	कमला पुत्री कजोड़पुरी हिस्सा 47/100, गोपीपुरी पुत्र हीरापुरी हिस्सा 11/26 जाति गुसाई, जुगल किशोर पुत्र हरजीराम हिस्सा 19/260, महावीर प्रसाद पुत्र टीकूराम हिस्सा 51/2600 जाति माली, सुरेन्द्र सिंह पुत्र प्रतापसिंह हिस्सा 37/2600 जाति राजपूत साकिन देह खातेदार।	1961/963/3	0.26	बारानी प्रथम

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बशरख्स मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.06.2024 को जारी की गई।

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
नवलगढ मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)नवलगढ